व्यक्तिगत ध्यान योग्य

"अति–आवश्यक"

दूरभाष : 2740239
फैक्स : 2742309

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान
ए–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/कोष/ 19477-676 दिनांक 11-11-11

वित्तीय सलाहाकार/मुख्य लेखाधिकारी/
वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
(संलग्न सूची अनुसार)

विषयः– एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के तहत व्यय रिपोर्ट एवं पी.डी.खातों के डेटा की जाँच के सम्बन्ध में

संदर्भः– वित्त (आर्थिक मामलात्) विभाग के पत्र क्रमांक एफ.5 (थ–75) DTA/ IFMS/ कोष/ दिनांक 15.09.2011, 13.10.2011 एवं 02.11.2011

20-11-11

महोदय,

विषयान्तर्गत अनुरोध है कि शासन सचिव, वित्त (बजट) द्वारा जारी संदर्भित पत्रों (प्रति संलग्न) द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत व्यय रिपोर्ट एवं पी.डी.खातों के डेटा की जाँच कर यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था कि उक्त रिपोर्ट एवं डेटा हर तरह से पूर्ण, अपडेटेड एवं शुद्ध है, यदि इनमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे सम्बन्धित कोषालय के माध्यम से ठीक करवाया जाना है। विस्तृत व्यय रिपोर्ट एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) की वेबसाइट पर ट्रेजरी मॉड्यूल के अन्तर्गत यूजर लॉगिन 'GUEST' व पासवर्ड 'GUEST' पर उपलब्ध है।

उक्त कार्य दिनांक 30.11.2011 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करवाया जाना है क्योंकि माह नवम्बर, 2011 के पश्चात् यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो कोषालय द्वारा बिल पारित नहीं किया जा सकेगा।

अतः उक्त कार्य कृपया दिनांक 30.11.2011 तक पूर्ण कर प्रगति से अवगत करवाने हेतु लेखा सेवा अधिकारी/ विभाग के प्रतिनिधि दिनांक 01–02.12.2011 को निदेशालय में उपस्थित होकर विभाग द्वारा उक्त सूचना पूर्ण कर ली गई है, की जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने का श्रम करें। यदि इसमें किसी प्रकार की असुविधा हो तो संयुक्त निदेशक (IFMS) से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई करवाएं।

भवदीय

निदेशक

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/बजट/ दिनांक

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर

निदेशक

क्रमांक एफ 20(101)आयो.भिन्न/लेखा/बजट/2011–12 /1354-1495 दिनांक 28.11.11

प्रतिलिपि समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों को प्रेषित करते हुए लेख है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक F.5 (TH–75)/DTA/IFMS/कोष/19477-676 11.11.11 की पालना सुनिश्चित की जावें ।

मुख्य लेखाधिकारी
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर